संख्या-01/2019/3892/60-2-18-2/1(2)6टी.सी.

प्रेषक,

गया प्रसाद,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 01 जनवरी, 2019

विषय : अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आई0सी0डी0एस0-एस0ए0एस0 के रोल-आउट हेतु 30000 स्मार्ट फोन जेम पोर्टल से क्रय किये जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-113/बा0वि0परि0/रा0पो0मि0/2018-19 दिनांक 11 दिसम्बर, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में प्रदेश के 12 जनपदों हेतु फील्ड स्तरीय कर्मियां के लिए माह फरवरी, 2019 में 15,000 तथा माह मार्च, 2019 में 15,000 अर्थात कुल 30,000 स्मार्ट फोन का भारत सरकार द्वारा निर्गत शर्तों एवं प्रतिबन्धों, दिशा-निर्देशों एवं स्पेसिफिकेशन इत्यादि तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) उपरोक्तानुसार सामग्री का क्रय भारत सरकार के पत्र संख्या-एनएनएम/59/2017-सीपीएमयू दिनांक 17.01.2018 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य दिशा-निर्देशों में निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(2) जो वस्तु/सेवा जेम पर उपलब्ध है, उसे जेम से ही क्रय करना अनिवार्य है।

3- उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस सम्बन्ध में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी।

भवदीय,

(गया प्रसाद)

विशेष सचिव।

संख्या-01/2019/3892(1)/60-2-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त, आय-व्ययक अनुभाग-1

5- आहरण वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in